न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 92/2018

GCMS NO. 2018/ 00126

1. शीशराम पुत्र हरदेवाराम
2. मीरसिंह पुत्र मगन सिंह उर्फ मक्खन
   समस्त जाति जाट निवासीयान ढाणी डूडियान तन् सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

..... वादीगण

बनाम

1. दीपचन्द पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
2. भूपसिंह पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
3. रतनसिंह पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
4. रमेश पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
5. सन्ता देवी पुत्री मनकोरी पुत्री कालूराम
6. तारा देवी पुत्री मनकोरी पुत्री कालूराम
7. सुलोचना देवी पुत्री मनकोरी पुत्री कालूराम
8. चन्णा देवी पत्नी रामावतार पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
9. मनोज पुत्र रामावतार पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
10. अमित पुत्र रामावतार पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
11. सुनिता पुत्री रामावतार पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
    समस्त जाति जाट निवासीयान अकबरपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि0)
12. उप पंजीयक अधिकारी, तहसीलदार, खेतड़ी
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी
14. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू

..... प्रतिवादीगण

1. पतासी पत्नी हरदेवाराम
2. महावीर प्रसाद पुत्र हरदेवाराम
3. प्रतापसिंह पुत्र हरदेवाराम
4. सजनादेवी पुत्री हरदेवाराम
5. कमला देवी पुत्री हरदेवाराम
6. सरबती देवी पत्नी मगन सिंह उर्फ मक्खन
7. रणवीर सिंह पुत्र मगनसिंह उर्फ मक्खन
8. सुरेश कुमार पुत्र मगन सिंह उर्फ मक्खन
9. सूवा देवी पुत्री मगन सिंह उर्फ मक्खन
10. सन्तरा देवी पुत्री मगन सिंह उर्फ मक्खन
11. धर्मा देवी पुत्री मगन सिंह उर्फ मक्खन
    समस्त जाति जाट निवासीयान ढाणी डूडियान तन् सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

..... तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित :–

1. मौहम्मद फारूक — अभिभाषक — वादीगण
2. श्री महेन्द्र सिंह निर्वाण — अभिभाषक — प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11

वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955

–: निर्णय :– **दिनांक :–21–11–2022**

वादीगण की ओर से इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया है कि :–

1. यह कि स्व0 कालूराम का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है:–

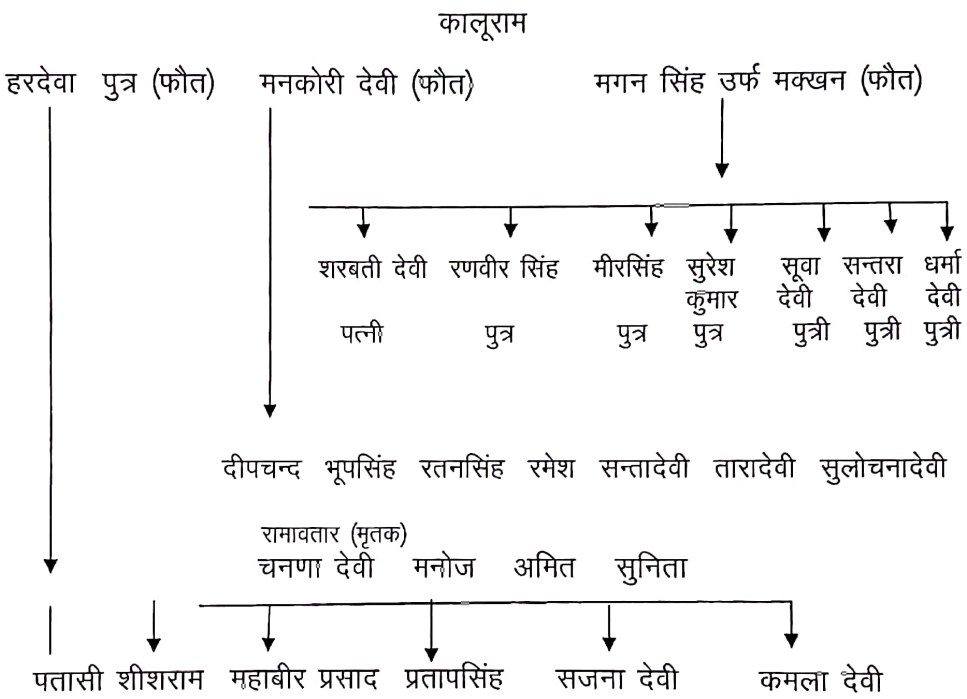

2. यह कि राजस्व ग्राम सेफरागुवार पटवार हल्का सेफरागुवार तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बरन 668 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 669 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.28 हैक्टेयर, कुल किता 8 कुल रकबा 2.34 हैक्टेयर के रुप में स्थित है जिसके राजस्व अभिलेख में 1/2 हिस्से की खातेदारी स्व0 हरदेवा पुत्र कालू पिता वादी संख्या 1 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादी संख्या 2 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 एवं स्व0 मनकोरी देवी पुत्री कालू (माता प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10) के नाम 1/2 हिस्सा एवं शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी अन्य के नाम से दर्ज है।
3. यह कि राजस्व ग्राम सेफरागुवार पटवार [illegible]रागुवार तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर [illegible] नम्बर 907 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

0.19 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर के रुप में स्थित है। जिसके राजस्व अभिलेख में सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी स्व0 हरदेवा पुत्र कालू पिता वादी संख्या 1 एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वादी संख्या 2 एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 एंव स्व0 मनकोरी देवी पुत्री कालू (माता प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10) के नाम 1/2 हिस्सा एंव शेष 1/2 हिस्से की खातदेरी अन्य के नाम से दर्ज है।

4. यह कि राजस्व ग्राम सेफरागुवार पटवार हल्का सेफरागुवार तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 695 रकबा 0.67 हैक्टर के रुप में स्थित है जिसके राजस्व अभिलेख में 1/4 हिस्से की भूमि की खातेदारी स्व0 हरदेवा पुत्र कालू पिता वादी संख्या 1 एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी संख्या 2 एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 एंव स्व0 मनकोरी देवी पुत्री कालू (माता प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10) के नाम 1/2 हिस्सा एंव शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी अन्य के नाम से दर्ज है।

5. यह कि वादी संख्या 1 एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी संख्या 2 एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के दादा स्व0 कालूराम का देहान्त दिंनाक 04.01.1992 को हुआ है । स्व0 कालूराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने नाम विरासत से प्राप्त खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि का विभाजन अपने दोनो पुत्रों स्व0 हरदेवाराम एंव स्व0 मगनसिंह उर्फ मक्खन के मध्य दिया था एंव दोनो पुत्रों को अपनी खातेदारी में दर्ज सम्पूर्ण भूमियों के 1/2 हिस्से पर हरदेवाराम का एंव 1/2 हिस्से पर स्व0 मगन सिंह उर्फ मक्खन का कब्जा करा दिया था। एंव उक्त विभाजन के पूर्व अपनी जायन्दा पुत्री मनकोरी देवी का विवाह कर दिया था। जो अपनी ससुराल में रहती रही।

6. यह कि कालूराम का देहान्त होने के बाद उसके पुत्र स्व0 हरदेवा एंव मगन सिंह उर्फ मक्खन उक्त भूमियां वर्णित खण्ड संख्या 2 से 6 में स्व0 कालूराम के नाम दर्ज भूमियों को 1/2 हिस्से के अनुसार काश्त करना शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी स्व0 मनकोरी देवी वादीगण की बहिन को उसके जीवनकाल में एंव उसकादेहान्त होने के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 को रही है । श्रीमती मनकोरी देवी ने अपने जीवनकाल एंव उसका देहान्त होने के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 ने कभी स्व0 कालूराम के नाम दर्ज रही भूमियों पर अपना हक अधिकार नहीं जताया किन्तु विरासत के आधार पर स्व0 मनकोरी देवी का नाम खातेदारी में दर्ज हो जाने के कारण उसका देहान्त होने के पश्चात् अब प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 ने खातेदारी का अनुचित लाभ उठाने की गर्ज से वादीगण के हक व अधिकार की भूमियों के शान्ति पूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा करना शुरू कर दिया।

7. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के उक्त अनुचित कृत्यों के कारण वादीगण ने दिंनाक 10.06.2018 को प्रतिवादीगण 1 से 11 को भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादीगण का नाम हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 झगडा फिसाद को आमादा हो गये एंव भूमियों की खातेदारी के आधार पर भूमियों को दीगर लोगो को विक्रय करने की धमकी देना शुरू कर दिया । जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है।

8. यह कि भूमि वर्णित खण्ड संख्या 2 ता 4 में स्व0 कालूराम के नाम दर्ज भूमियों को स्व0 कालूराम ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों के मध्य विभाजित कर दी थी एंव मौके पर कब्जा करा दिया था जिनका देहान्त होने के पश्चात् वादीगण के पिता काश्त करते आये एंव उनका देहान्त होने के बाद वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 तक काश्त कर रहे है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व0 मनकोरी देवी को कोई हक व अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त नही होते थे एंव ना ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को हुए है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 की माता स्व0 मनकोरी देवी के नाम दर्ज खातेदारी हटाये जाने योग्य है।

9. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 द्वारा गलत रुप से खातेदारी अपने नाम दर्ज कराकर भूमियों को विक्रय कर दिये जाने से वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मुकदमें बाजी बढेगी एंव वादीगण की आजीविका का साधन समाप्त हो जावेगा। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

10. यह कि वाद कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 द्वारा भूमि वर्णित खण्ड संख्या 2 ता 4 वाद पत्र में स्व0 मनकोरी देवी के नाम दर्ज खातेदारी को अपने नाम दर्ज कराने को आमादा होने एंव दिंनाक 10.06.2018 को भूमि विक्रय करने की धमकी देने से अन्दर क्षेत्र न्यायालय पैदा हुआ है।

11. यह कि पक्षकारान का निवास स्थान एंव भूमिया माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

12. यह कि वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु 4.00 रुपये न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें।

(क) यह कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि भूमि वर्णित खण्ड संख्या 2 ता 4 वाद पत्र में स्व0 मनकोरीदेवी का नाम हटाये जाने योग्य है एंव मनकोरीदेवी के नाम दर्ज भूमियों की खातेदारी हटाकर वादी संख्या 1 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को 1/2 एंव वादी संख्या 2 एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 को 1/2 हिस्से के अनुसार खातेदार घोषित किया जाना प्रार्थनीय है।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि वर्णित खण्ड संख्या 2 ता 4 वाद पत्र में स्व0 मनकोरी देवी पुत्री स्व0 कालूराम के नाम दर्ज भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज नही करावें। ना ही उक्त भूमि को दीगर किसी को विक्रय कर बैनामा तस्दीक करावे। ना ही प्रतिवादी संख्या 12 बैनामा तस्दीक करें , रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) यह कि वाद व्यय प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) यह कि अन्य कोई सहायता जो वादीगण के पक्ष में हो दिलवाई जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 12, 13, 14 की तलबी आवश्यक नहीं होने से इनकी तलबी बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का जवाब दावा पेश किया कि :–

1. यह कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 में स्व0 कालूराम का सजरा जिस प्रकार दर्ज किया गया है। सही है एंव स्वीकार है।

2. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 2 में [illegible] अनुसार राजस्व ग्राम सेफरागुवार पटवार हल्का सेफरागुवार [illegible] भूमि खसरा नम्बर 668 रकबा 0.21 हैक्टर , खसरा नम्बर 669 रकबा [illegible] हैक्टर , खसरा नम्बर 682

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.34 हैक्टर , खसरा नम्बर 683 रकबा 0.34 हैक्टर , खसरा नम्बर 684 रकबा 0.36 हैक्टर , खसरा नम्बर 685 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 2.34 हैक्टर के रुप में स्थित होना एंव जमाबन्दी में अंकितानुसार खातेदारी होना स्वीकार है।

3. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 3 में अंकितानुसार राजस्व ग्राम सेफरागुंवार पटवार हल्का सेफरागुंवार तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 902 रकबा 0.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 907 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 हैक्टर के रुप में स्थित होना एंव जमाबन्दी में अंकितानुसार खातेदारी होना स्वीकार है

4. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 4 में वर्णितानुसार राजस्व ग्राम सेफरागुवार पटवार हल्का सेफरागुवार तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 695 रकबा 0.67 हैक्टर के रुप में स्थित होना एंव जमाबन्दी में अंकितानुसार खातेदारी होना स्वीकार है।

5. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 5 जिस प्रकार दर्ज की गई है सही हैं एंव स्वीकार है। स्व0 कालूराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने नाम विरासत से प्राप्त खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि का विभाजन अपने दोनो पुत्रों स्व0 हरदेवाराम एंव स्व0 मगन सिंह उर्फ मक्खन के मध्य कर दिया था एंव दोनो पुत्रों को अपनी खातेदारी में दर्ज सम्पूर्ण भूमियों के 1/2 हिस्से पर स्व0 मगन सिंह उर्फ मक्खन का कब्जा करा दिया था । एंव उक्त विभाजन के पूर्व अपनी जायन्दा पुत्री मनकोरी देवी का विवाह कर दिया था जो अपनी ससुराल में रहती रही।

6. यह कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 6 जिस प्रकार दर्ज की गई है स्वीकार है।

7. यह कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 7 जिस प्रकार दर्ज की गई है अस्वीकार है।

8. यह कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 8 जिस प्रकार दर्ज की गई है अस्वीकार है।

9. यह कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 9 जिस प्रकार दर्ज की गई स्वीकार है।

10. यह कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 10 जिस प्रकार दर्ज की गई है अस्वीकार है। उत्तरदातागण के विरूद्व कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है।

11. यह कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 11 कानूनी है।

12. यह कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 12 कानूनी है।

13. यह कि वाद पत्र की प्रार्थना स्वीकार है। वाद वादीगण डिक्री किये जाने में उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

विशेष कथन :–

1. राजस्व ग्राम सेफरागुवार पटवार हल्का सेफरागुवार तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 695 रकबा 0.67 हैक्टर के रुप में स्थित है। स्व0 कालूराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने नाम विरासत से प्राप्त खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि का विभाजन अपने दोनो पुत्रो स्व0 हरदेवाराम एंव स्व0 मगनसिंह उर्फ मक्खन के मध्य कर दिया था एंव दोनो पुत्रों को अपनी खातेदारी में दर्ज सम्पूर्ण भूमियों के 1/2 हिस्से पर हरदेवाराम का एंव 1/2 हिस्से पर स्व0 मगन सिंह उर्फ मक्खन का कब्जा करा दिया था। एंव उक्त विभाजन के पूर्व अपनी जायन्दा पुत्री मनकोरी देवी का विवाह कर दिया था। जो अपनी ससुराल में रहती रही।

2. अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री किये जाने में उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है।

वादीगण की ओर से निम्न साक्ष्य पेश की गई

1. राजस्व साक्ष्य अभिलेख [illegible] ग्राम सेफरागुवार [illegible] जमाबन्दी संवत 2072–2075 खाता संख्या [illegible] 367, 368, 36[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

2. राजस्व साक्ष्य अभिलेख में ग्राम सेफरागुवार की नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 खाता संख्या नया 132, 284, 285
3. मौखिक साक्ष्य में रमेश पुत्र मनकोरी जाति जाट निवासी अकबरपुर का शपथ पत्र दिनांक 28.08.2019
4. मौखिक साक्ष्य में मीरसिंह पुत्र श्री मगनसिंह उर्फ मक्खन जाति जाट निवासी ढ़ाणी डूडियान् तन् सेफरागुंवार का शपथ पत्र दिनांक 26.02.2019
5. मौखिक साक्ष्य में फतेहसिंह पुत्र छोटूराम निवासी रूपाका बास का शपथ पत्र दिनांक 26.02.2019
6. समस्त प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के पहचान दस्तावेज आधार कार्ड फोटो प्रति स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित।
7. कालूराम पिता रूघाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 04.01.1992 की फोटो प्रति।
8. हरदेवाराम पुत्र कालूराम के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 06.11.2014 की फोटो प्रति।
9. मगनसिंह पुत्र कालूराम के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.12.86 की फोटो प्रति।
10. मनकोरी के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.04.2001 की फोटो प्रति।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण का वाद मुताबिक अनुतोष के अंतिम डिक्री कर किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि से मनकोरी पुत्री कालू जाति जाट का नाम हजफ कर उनके हिस्से का वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रकट की गई सहमति पर राजस्व हानि की अपवंचना को मध्यनजर रखते हुये न्यायालय पत्रांक पाठक/2022/1025 दिनांक 24.06.2022 से तहसीलदार/उपपंजीयक खेतड़ी से राजकोष में जमा योग्य राशि की गणना रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी ने अपने पत्रांक पी.ए./पंजीयन/22/414 दिनांक 06.07.2022 से गणना कर कुल 1,43,220/– रूपये राजकोष के लेखा मद 0030 में जमा योग्य की रिपोर्ट पेश की गई। न्यायालय हाजा के आदेशानुसार वादीगण ने उक्त 1,43,220/– रूपये के विरूद्ध ऑनलाईन ई–ग्रास चालान संख्या 569 दिनांक 17.10.2022 जीआरनं. 67594098 के द्वारा राजकोष के लेखा मद 0030 में कुल 1,43,218/– रूपये जमा करवाये गये। सुलभ सन्दर्भ हेतु जमा चालान की प्रति शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात्, वाद पत्र के अभिवचनों व जवाब दावा में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया। प्रकरण में वादीगण का वाद किंचित का अनुतोष नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के जवाब दावा के आधार पर वादीगण का वाद उनके हक में स्वीकार कर अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :—

अतः वाके राजस्व ग्राम सेफरागुवार पटवार हल्का सेफरागुवार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या नया 132 के हाल खसरा नम्बर 902, रकबा 0.99 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 907 रकबा 0.19 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 हेक्टेयर में मनकोरी पुत्री कालू जाति जाट हिस्सा 1/3, खाता संख्या नया 284 के हाल खसरा नम्बर 695 रकबा 0.67 हेक्टेयर में मनकोरी पुत्री कालू जाति जाट हिस्सा 1/12 तथा खाता संख्या नया 285 के हाल खसरा नम्बर 668 रकबा 0.21 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 669 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.33 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.28 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.34 हेक्टेयर में मनकोरी पुत्री कालू हिस्सा 1/6 हजफ कर मनकोरी पुत्री कालू जाति जाट की उक्त खातेदारी भूमि का वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद का समर्थन किये जाने के कारण वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

1. शीशराम पुत्र हरदेवाराम
2. मीरसिंह पुत्र मगन सिंह उर्फ मक्खन
   समस्त जाति जाट निवासीयान ढाणी डूडियान तन् सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

..... वादीगण

बनाम

1. दीपचन्द पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
2. भूपसिंह पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
3. रतनसिंह पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
4. रमेश पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
5. सन्ता देवी पुत्री मनकोरी पुत्री कालूराम
6. तारा देवी पुत्री मनकोरी पुत्री कालूराम
7. सुलोचना देवी पुत्री मनकोरी पुत्री कालूराम
8. चनणा देवी पत्नी रामावतार पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
9. मनोज पुत्र रामावतार पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
10. अमित पुत्र रामावतार पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
11. सुनिता पुत्री रामावतार पुत्र मनकोरी पुत्री कालूराम
    समस्त जाति जाट निवासीयान अकवरपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि0)
12. उप पंजीयक अधिकारी, तहसीलदार, खेतड़ी
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी
14. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू

..... प्रतिवादीगण

1. पतासी पत्नी हरदेवाराम
2. महावीर प्रसाद पुत्र हरदेवाराम
3. प्रतापसिंह पुत्र हरदेवाराम
4. सजनादेवी पुत्री हरदेवाराम
5. कमला देवी पुत्री हरदेवाराम
6. सरवती देवी पत्नी मगन सिंह उर्फ मक्खन
7. रणवीर सिंह पुत्र मगनसिंह उर्फ मक्खन
8. सुरेश कुमार पुत्र मगन सिंह उर्फ मक्खन
9. सूवा देवी पुत्री मगन सिंह उर्फ मक्खन
10. सन्तरा देवी पुत्री मगन सिंह उर्फ मक्खन
11. धर्मा देवी पुत्री मगन सिंह उर्फ मक्खन
    समस्त जाति जाट निवासीयान ढाणी डूडियान तन् सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

..... तृतीयी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत :— घोषणाा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नम्बर :— 92/2018

निर्णय दिनांक :— 21—11—2022

वादीगण की ओर से **मौहम्मद फारूक एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से **श्री महेन्द्र सिंह निर्वाण एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **21—11—2022** को **श्री जयसिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

"वाके राजस्व ग्राम सेफरागुवार पटवार हल्का सेफरागुवार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या नया 132 के हाल खसरा नम्बर 902, रकबा 0.99 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 907 रकबा 0.19 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 हेक्टेयर में मनकोरी पुत्री कालू जाति जाट हिस्सा 1/3, खाता संख्या नया 284 के हाल खसरा नम्बर 695 रकबा 0.67 हेक्टेयर में मनकोरी पुत्री कालू जाति जाट हिस्सा 1/12 तथा खाता संख्या नया 285 के हाल खसरा नम्बर 668 रकबा 0.21 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 669 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.33 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.28 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.34 हेक्टेयर में मनकोरी पुत्री कालू हिस्सा 1/6 हजफ कर मनकोरी पुत्री कालू जाति जाट की उक्त खातेदारी भूमि का वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद का समर्थन किये जाने के कारण वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज तारीख **21—11—2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner